

# **DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY**

## **BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)

Wednesday 18<sup>th</sup> February, 2015/ 29 Magha, 1936 (Saka)

No. 04

### **COMMENCEMENT OF THE FIRST SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

Hon'ble Members are informed that the first session of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, the 23<sup>rd</sup> February 2015 at 2:00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

**ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FIRST SESSION:** Sittings of the Legislative Assembly have been provisionally fixed for:

#### **23<sup>rd</sup> February, 2015 - 2.00 P.M**

- (i) Oath/Affirmation of the newly elected members.
- (ii) Election of the Speaker
- (iii) Election of the Dy. Speaker

#### **24<sup>th</sup> February, 2015- 11.00 A.M**

- (i) Lieutenant Governor's Address
- (ii) Motion of Thanks on the LG Address.

#### **TIME OF SITTING:**

On 23<sup>rd</sup> February, 2015, the Legislative Assembly will sit from 2.00 PM and continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung at 1.55 P.M. to enable Members to take their seat. On 24<sup>th</sup> February, 2015 at the time of Lt. Governor's Address, sitting of the House will be held at 11.00 A.M.

#### **CERTIFICATE OF ELECTION:**

Those Members who have not so far deposited copies of Election Certificates or have not intimated whether they would be taking oath or affirmation and in which language, may kindly do so at the earliest so that the necessary arrangements in this regard are made.

Members can submit this information latest by 11.00 A.M. of 23<sup>rd</sup> February, 2015 positively.

#### **SEATING ARRANGEMENT DURING FIRST SESSION:**

Each Member of the House has been provisionally allotted a seat under Rule 5 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Assembly. A copy of the statement showing the seat number provisionally allotted to the Members is being sent separately.

### **OATH OR AFFIRMATION:**

Members will make and subscribe the oath or affirmation as required under Section 12 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 read with Rule 4 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on **23<sup>rd</sup> February, 2015 at 2.00 P.M.** onwards in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

A Member who is unable to make and subscribe the oath or affirmation on **23<sup>rd</sup> February, 2015** may do so on any subsequent sitting of the Assembly after giving advance information to the Secretary by 11.00 A.M. on that day.

**"On the name of the Member being called by the Secretary, the Member will proceed from the place he is occupying to the right side of the Secretary's table, where a copy of the form of oath or affirmation as the case may be, will be handed over to him.**

**The Member will face the Chair while making the oath or affirmation and will then go up to and shake hands with or wish the Chair, who will then give the Member permission to take his seat in the House.**

**The Member will pass behind the Chair to the other side of the Table where he will sign the Roll of Members. After signing the Roll of Members, he will take his seat in the House".**

### **ELECTION OF SPEAKER:**

Election of Speaker will be held on the **23<sup>rd</sup> February, 2015**. A separate Bulletin Part – II is being issued giving detailed information and procedure in this regard. Notices of motions for the election of the Speaker can be given before noon on the **20<sup>th</sup> February, 2015** in the Notice Branch of the Assembly Secretariat.

### **ELECTION OF DEPUTY SPEAKER:**

Election of Deputy Speaker will be held on the **23<sup>rd</sup> February, 2015**. A separate Bulletin Part – II is being issued giving detailed information and procedure in this regard. Notices of motions for the election of the Deputy Speaker can be given before noon on the **20<sup>th</sup> February, 2015** in the Notice Branch of the Assembly Secretariat.

### **LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS:**

The Hon'ble Lieutenant Governor will address the Legislative Assembly on **24<sup>th</sup> February, 2015 at 11.00 A.M.** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

### **MEMBERS PARTICIPATION IN THE DEBATE:**

Members who desire to participate in the debate/discussion during the session are requested to forward their requests to the Assembly Secretary through their concerned Party Leaders.

**NOTE: - CELLULAR PHONE, PAGERS, I-PADS, TABLETS, LAPTOPS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.**

**(L.R. GARG)  
SECRETARY**

# दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

बुधवार, 18 फरवरी, 2015/29 माघ, 1936 (शक)

संख्या-04

## छठी विधान सभा के पहले सत्र का प्रारंभ

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छठी विधान सभा का पहला सत्र सोमवार 23 फरवरी, 2015 को अपराह्न 02.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में प्रारंभ होगा।

### पहले सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन:-

पहले सत्र में कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर दिनांक 23 एवं 24 फरवरी, 2015 के लिए निर्धारित की गई हैं।

### 23 फरवरी, 2015- अपराह्न 2.00 बजे

1. नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान
2. अध्यक्ष का निर्वाचन
3. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

### 24 फरवरी, 2015- पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. उपराज्यपाल का अभिभाषण
2. उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

### विधान सभा की बैठकों का समय:

जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, विधान सभा की बैठकें नियत की गई तिथियों को अपराह्न 02.00 बजे से आरम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक कि उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये। कोरम की घंटी अपराह्न 1.55 पर बजेगी। परन्तु उपराज्यपाल के अभिभाषण के दिन अर्थात् 24 फरवरी, 2015 को विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे आरंभ होगी।

### निर्वाचन प्रमाण-पत्र:

जिन सदस्यों ने अभी तक निर्वाचन प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराये हैं एवं यह सूचित नहीं किया है कि वे किस भाषा में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, उनसे अनुरोध है कि वे कृपया वांछित सूचना यथाशीघ्र जमा कराएं ताकि इस संबंध में आवश्यक प्रबंध किया जा सके।

माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे यह सूचना 23 फरवरी, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से पहले जमा करा दें।

### पहले सत्र के दिन सदन में बैठने की व्यवस्था:

सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-5 के अनुसार अस्थायी रूप से स्थान आबंटित किया गया है। सदस्यों को अस्थायी रूप से आबंटित स्थानों (सीटों) की संख्या के चार्ट के रूप में विवरण की एक प्रति संलग्न है।

### शपथ या प्रतिज्ञान:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-4 के साथ पठित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-12 की अपेक्षा के अनुसार माननीय सदस्य 23 फरवरी, 2015 को 02.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे।

जो सदस्य 23 फरवरी, 2015 को शपथ या प्रतिज्ञान लेने में असमर्थ हैं, वे बाद में विधान सभा की किसी भी बैठक में सचिव को 11.00 बजे तक सूचना देकर शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे।

‘सचिव द्वारा किसी माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर, सदस्य अपने स्थान से सचिव की मेज के दाईं ओर पहुँचेंगे, जहाँ शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र की एक प्रति दी जाएगी। सदस्य अध्यक्ष की ओर मुँह करके शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और उसके बाद अध्यक्ष के आसन तक आयेंगे, अध्यक्ष से हाथ मिलायेंगे अथवा उनका अभिवादन करेंगे और अध्यक्ष इसके बाद माननीय सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति देंगे। सदस्य अध्यक्ष के पीछे से होकर पटल के दूसरी ओर जायेंगे, वहाँ वह सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और नामावली में हस्ताक्षर करने के बाद वह अपना आसन ग्रहण करेंगे।’

### अध्यक्ष का निर्वाचन:

अध्यक्ष का निर्वाचन 23 फरवरी, 2015 को किया जाएगा। अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं प्रक्रिया सहित अलग से समाचार भाग-2 जारी किया जा रहा है। अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्तावों की सूचना 20 फरवरी, 2015 के मध्याह्न से पहले विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय (नोटिस ऑफिस) में दी जा सकेगी।

### उपाध्यक्ष का निर्वाचन:

उपाध्यक्ष का निर्वाचन 23 फरवरी, 2015 को किया जाएगा। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं प्रक्रिया सहित अलग से समाचार भाग-2 जारी किया जा रहा है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्तावों की सूचना 20 फरवरी, 2015 के मध्याह्न से पहले विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय (नोटिस ऑफिस) में दी जा सकेगी।

### उपराज्यपाल का अभिभाषण:

उपराज्यपाल 24 फरवरी, 2015 को 11.00 बजे विधान सभा सचिवालय सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में सदस्यों को सम्बोधित करेंगे। इस संबंध में अलग से समाचार भाग-2 जारी किया जा रहा है।

### चर्चा में सदस्यों का भाग लेना:

जो माननीय सदस्य सत्र के दौरान किसी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि संबंधित दल के नेता के माध्यम से अपना नाम विधान सभा सचिव को भेजे।

नोट: सेलुलर फोन, पेजर, आई-पेड्स, टेबलेट्स, लेपटॉप्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कृपया सदन से बाहर ही रखें।

(एल.आर. गर्ग)  
सचिव